

## जुगाड़ वाले किसान अब हर बार नहीं ले पाएंगे लाभ

मिस्ट्र कॉल से होगा पंजीकरण, गरीबों को मिलेगा अनुदान

फीरोजाबाद : कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ बार बार कुछ ही लोग नहीं उठा सकेंगे. शासन द्वारा शुरू की गई किसान पंजीकरण प्रक्रिया से गरीब किसान एवं मजदूरों को बारी बारी से लाभ दिया जाएगा. सरकार उनकी जरूरतों के हिसाब से ही योजनाएं बनाएगी.

शासन द्वारा किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुदान पर खाद, बीज, कीटनाशक एवं यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं. सरकार का इन सब पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होता है. इसके बाद भी गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता. हर बार ज्यादातर वही किसान लाभ लेते रहते हैं, जिन्हें योजनाओं की जानकारी है और उनकी विभागीय कर्मचारियों से सांठगांठ है. सरकार ने गरीबों तक योजनाएं पहुंचाने के लिए अब पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है. इसमें किसान अपने मोबाइल से 1800-200-1050 पर मिस्ट्र कॉल करके भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं. खास बात ये है कि मोबाइल में एक पैसा न होने पर भी मिस्ट्र कॉल की जा सकती है. उल्लेखनीय है कि पंजीकरण प्रक्रिया लागू होने बाद इस साल खाद को लेकर मची हाय तौबा जैसी स्थिति से बचा जा सकता है.

अनुदान वाली खाद जरूरत के मुताबिक पंजीकृत किसानों को ही मिलेगी.

जिला कृषि अधिकारी अखिलशे पांडे ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष से केवल उन्हीं किसानों एवं मजदूरों को विभागीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा जिनका पंजीकरण होगा. लक्ष्य से अधिक लाभार्थी होने पर प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा. पात्र किसानों को कब, क्या लाभ दिया जाएगा इसकी जानकारी एसएमएस के जरिए उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी.